भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 516
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

516. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक संपूर्ण देश में स्वीकृत, पूर्ण और परिचालनरत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की वर्ष-वार, राज्य-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच है कि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का संशोधित संस्करण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): कृषि-समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम (सम्पदा) जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के रूप में नया नाम दिया गया है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस स्कीम के तहत निधि राज्य-वार आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में आवंटित और जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बीई [करोड़ रुपए में]	आरई [करोड़ रुपये में]	वास्तविक व्यय [करोड़ रुपये में]
2019-20	1001.73	848.23	669.47
2020-21	995.97	732.13	651.66
2021-22	673.7	782.95	707.66
2022-23	880.75	654.60	544.82
2023-24	923.04	708.22	666.14
2024-25	728.8	-	256.924

(ख): स्कीम की अब तक देश भर में स्वीकृत, पूर्ण और प्रचालनरत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएँ	पूर्ण/प्रचालनरत
1.	आंध्र प्रदेश	7	0
2.	असम	8	1
3.	बिहार	1	0
4.	छत्तीसगढ	1	0
5.	गुजरात	4	4
6.	हरियाणा	3	1

7.	हिमाचल प्रदेश	2	1
8.	जम्मू और कश्मीर	1	1
9.	कर्नाटक	3	1
10.	केरल	2	2
11.	मध्य प्रदेश	4	2
12.	महाराष्ट्र	१३	5
13.	उड़ीसा	1	0
14.	पंजाब	3	1
15.	राजस्थान	4	0
16.	तमिलनाडु	12	2
17.	तेलंगाना	5	0
18.	उत्तर प्रदेश	2	2
	कुल	**76**	**23**

योजना की अब तक देश भर में स्वीकृत, पूर्ण और प्रचालनरत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**पूर्ण/प्रचालनरत**	**श्रेणी**
1	68	22	सामान्य
2	7	1	अनुसूचित जाति
3	1	-	अनुसूचित जनजाति
कुल	**76**	**23**	

(ग): प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक केन्द्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना है तथा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना सृजन योजना (एपीसी) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना है।

*****